भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *158

उत्तर देने की तारीख : 15.12.2025

उद्यम सखी पोर्टल के कार्यान्वयन की स्थिति

***158. श्रीमती राजाथी :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची क्या है जिनमें उद्यम सखी पोर्टल कार्यान्वित किया गया है और वर्तमान में संचालित हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से पंजीकृत महिला उद्यमियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) उद्यम सखी पोर्टल के तहत महिलाओं को दी जाने वाली सेवाएं कौन-कौन सी हैं; और

(घ) उद्यम सखी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पंजीकरण एवं जन-जागरूकता से लेकर वास्तविक उद्यम स्थापना अथवा मार्गदर्शन सहायता तक कम रूपांतरण दर रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"उद्यम सखी पोर्टल के कार्यान्वयन की स्थिति" के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *158, जिसका उत्तर दिनांक 15.12.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): वर्ष 2018 में उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत से लेकर अब तक उक्त पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत और लाभान्वित महिला उद्यमियों का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

उद्यम सखी पोर्टल एमएसएमई क्षेत्र में मौजूदा और भावी महिला उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की वित्तीय स्कीमों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है।

वास्तव में, देश में व्यवसाय करने की सुगमता और महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों सहित अन्य उद्यमों के औपचारिकीकरण में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की गई थी। उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया सरल, कागजरहित, निःशुल्क, डिजिटल और स्व-घोषणा पर आधारित है। ऐसे अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई), जिन्हें जीएसटी से छूट प्रदान की गई हो, के लिए भारतीय लघु उद्यम विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई थी। उद्यम की शुरुआत से लेकर, अब तक 7,22,32,260 एमएसएमई को उद्यम पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 2,86,39,991 उद्यम, महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम हैं जो 39 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2024 को 'यशस्वनी अभियान' की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य औपचारिकीकरण के बारे में विभिन्न स्कीमों के माध्यम से ऋण तक पहुंच संबंधी क्षमता निर्माण तथा जागरुकता सृजन के जरिए मेंटरशिप के माध्यम से देशभर में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है।

एमएसएमई मंत्रालय, देशभर में फैले अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, अर्थात विकास कार्यालयों (डीएफओ) तथा राज्य सरकारों, एमएसएमई संघों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय करके उद्यमों विशेषकर महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए औपचारिकीकरण/पंजीकरण अभियानों को बढ़ावा देता है और उन्हें हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करता है।

******

अनुबंध-I

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 158, जिसका उत्तर दिनांक 15.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	**राज्य**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	3
2	आंध्र प्रदेश	427
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	22
5	बिहार	1,023
6	छत्तीसगढ़	51
7	गोवा	2
8	गुजरात	77
9	हरियाणा	96
10	हिमाचल प्रदेश	6
11	झारखंड	34
12	कर्नाटक	125
13	केरल	41
14	मध्य प्रदेश	81
15	महाराष्ट्र	580
16	मणिपुर	0
17	मेघालय	0
18	मिजोरम	2
19	नागालैंड	40
20	ओडिशा	17
21	पंजाब	54
22	राजस्थान	252
23	सिक्किम	0
24	तमिलनाडु	553
25	तेलंगाना	58
26	त्रिपुरा	1
27	उत्तर प्रदेश	380
28	उत्तराखंड	26
29	पश्चिम बंगाल	72
30	जम्मू एवं कश्मीर	18
31	दिल्ली	539
	कुल	**4,580**